R.894-III/13

श्री महेन्द्र सिंह एड.
द्वारा पेश 01-01-13
1-1-13
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म०प्र०
ग्वालियर

01 / 1-1-13

27-2-13

(1) मैथिलीशरण पाण्डेय तनय श्री, रामकुमार ब्रा० ग्राम बधवारी तहसील त्योंथर जिला रीवा म०प्र०।

(2) शंकरलाल तनय श्री अनसुइयाप्रसाद वर्मा ग्राम पुर्वा तहसील त्योंथर जिला रीवा म०प्र० -- -- -- निगरानीकर्तागण

बनाम

(1) देवेन्द्र कुमार तनय श्री मैथिलीशरण पाण्डेय ग्राम बधवारी तहसील त्योंथर जिला रीवा म०प्र०।

(2) शासन म०प्र० -- -- -- -- गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार त्योंथर वृत्त गढ़ी के रा० प्र०क्र० 393/अ-12 आदेश दिनांक 6/10/ को पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० (1959 ई०)

मान्यवर,

निगरानी आवेदनपत्र के आधार निम्नांकित हैः--

(1) यहकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यहकि प्रकरण की संक्षिप्त कहानी इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता क्र० 1 ग्राम बधवारी तह० त्योंथर जिला रीवा के पुश्तैनी निवासी तथा ग्राम पुर्वा पट० ह० चौड़ा तह० त्योंथर जिला रीवा म०प्र० के अन्तर्गत आ०नं० 96/1 रकबा 1.29 डि० के भूमिस्वामी क्रमशः निगरानीकर्ता क्र० 1 मैथिलीशरण, रामयश, राजेन्द्रप्रसाद व रामहर्ष सभी के पिता रा[illegible] ब्रा० सा० बधवारी खातेदार के रूप में राजस्व अभिलेखों में वहैसियत बराबर दर्ज थे जिसमें एक खातेदार रामयश ने आज से 20 वर्ष पूर्व अ[illegible] हिस्से की भूमि निगरानीकर्ता क्र० 2 शंकरलाल तनय श्री, अनसुइयाप्रसा[illegible]

मैथिलीशरण पाण्डेय   शंकरलाल

एड. श्री महेन्द्र सिंह

R894-III/13-रीवा
मैथलीशरण पाण्डेय / देवेन्द्र कुमार

(10)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-4-15	- आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र सिंह, एड. उप०/ - तहसीलदार का अभिलेख प्राप्त हो गया है। - अना० की तलबी के लिए आवेदक द्वारा तलवाना जमा नहीं किया गया। - आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सिंह द्वारा बताया गया कि इन पक्षकारों का आपसी राजीनामा हो गया है, जो कि अगली पेशी पर उपस्थित हो कर राजीनामा पेश करेंगे। - वास्ते राजीनामा हेतु। C.F. 14.6.16 आदा से, [signature]	NF 14-6-16 (14)
14-6-16	आवेदक अभि. श्री महेन्द्र सिंह उपस्थित/ अना० की ओर से कोई उप० नहीं/ आवेदक अभि. द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर बताया कि उभय पक्षों के मध्य राजीनामा हो गया है/ अत: प्रकरण तहसीलदार त्योंथर को इस निर्देश के साथ वापस किया जाता है कि विधि सम्मत कार्यवाही कर निराकरण करें प्रकरण समाप्त किया जाता है/ [signature] सदस्य	C.F. (25)

(71)

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.